रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 400] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 1987/श्रावण 12, 1909
No. 400] NEW DELHI, MONDAY, AUG. 3, 1987/SRAVAN 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 685 (अ)—परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) के खंड 1 के उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 25 मई, 1987 नियुक्त करती है जिस तिथि से कर्नाटक राज्य में उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं. 79/8/86-न्याय]
नगेन्द्र शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 15th May, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 685(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984), the Central Government hereby appoints the 25th May, 1987, as the date on which the said Act shall come into force in the State of Karnataka.

[No. 79|8|86-Jus.

N. N. SHARMA, Directo

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987